

**NATIONAL HOUSING BANK  
NEW DELHI**

**NOTIFICATION No. NHB. HFC.REG -3/CMD/ 2010 dated the 29<sup>th</sup> March, 2010**

The National Housing Bank, on being satisfied that it is necessary so to do, in exercise of its powers conferred under Section 35B of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) hereby declares that the provisions of Sections 29A, 29B and 29C of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) shall not apply to any housing finance institution which is a company and which is :

- a) providing credit not exceeding Rs. 1,50,000 (Rupees one lac fifty thousand) for meeting the cost of a dwelling unit to any poor person for enabling him to raise his/her standard of living ;
- b) licensed under section 25 of the Companies Act, 1956; and
- c) not accepting public deposits as defined in paragraph 2(1)(w) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001, as amended from time to time.



(S. Sridhar)

Chairman and Managing Director

राष्ट्रीय आवास बैंक  
नई दिल्ली

अधिसूचना सं. राआबैंक.एचएफसी.आरईजी-3/सोएमडी/2010 दिनांक 29 मार्च, 2010

राष्ट्रीय आवास बैंक, संतुष्ट होते हुए कि यह करना आवश्यक है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 35बी द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धाराएं 29ए, 29बी एवं 29सी के प्रावधान किसी आवास वित्त संस्थान, जोकि एक कंपनी है, पर लागू नहीं होंगे और जो :

- क) किसी गरीब व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को उन्नत करने में समर्थ बनने के लिए आवासीय इकाई का मूल्य चुकाने के लिए अधिकतम 1,50,000 रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये) का ऋण उपलब्ध कराती है;
- ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस धारक है; और
- ग) आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुच्छेद 2 (1) (डब्ल्यू) में उल्लेखानुसार सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार नहीं करती है।

एस. श्रीधर

(एस. श्रीधर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक